



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072024-255899  
CG-DL-E-30072024-255899

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 559]  
No. 559]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 25, 2024/ श्रावण 3, 1946  
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 25, 2024/ SHRAVANA 3, 1946

पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई 2024

सं. एनईआईजीआर-ई.11/4/2012/पीटी-II.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग में वित्तीय सलाहकार के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग ग्रुप 'ए' पद भर्ती संशोधन नियम, 2024 है।  
(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण व वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों की उपबंध अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएँ आदि - भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ और संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता - वह व्यक्ति-  
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहाँ केंद्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्ति या पद की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।
6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
वित्तीय सलाहकार	01* (2024)	ग्रुप 'ए'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है
7	8	9	10	11
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केंद्र/राज्य सरकार द्वारा आयोजित किसी भी वित्त/लेखा सेवा या अधीनस्थ वित्त/लेखा सेवा के अधिकारी या केन्द्रीय सांविधिक/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्त/लेखा विभागों में अधिकारी जो -</p> <p>क)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किए हुए हो; अथवा</li> <li>2. मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा प्रदान की हो, अथवा</li> <li>3. मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स</li> </ol>

				के स्तर 11 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में 10 वर्ष की सेवा प्रदान की हो। नोट: प्रतिनियुक्ति की अवधि शुरू में एक वर्ष के लिए होगी, जिसे कार्य समीक्षा के आधार पर पाँच वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
--	--	--	--	---

यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
12	13
लागू नहीं	लागू नहीं

प्रो. नलिन मेहता, निदेशक नीग्रिम्स

[विज्ञापन-III/4/असा./328/2024-25]

**NORTH EASTERN INDIRA GANDHI REGIONAL INSTITUTE OF HEALTH  
AND MEDICAL SCIENCES, SHILLONG**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th July, 2024

**No. NEIGR-E.II/4/2012/Pt-II.**—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of **Financial Adviser** in North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences, Shillong, namely:-

- Short title and commencement**—(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences, Shillong Group - A posts Recruitment amendment Rules, 2024.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of post, classification and level in Pay Matrix** – The number of the said post, its classification and level in the Pay Matrix attached thereto shall be specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.** – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification** – No person,
  - Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to Relax** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Ministry of Health & Family Welfare, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.
6. **Saving**—Nothing in these rules shall affect reservation relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen, Persons with Disabilities and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
<b>Financial Adviser</b>	01 (2024)	Group 'A'	Level 13 of the Pay Matrix	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
7	8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By Deputation	<p><b>Deputation:</b> Officers from any of the Central/State Government organized Finance/ Accounts Services or Subordinate Finance / Accounts Services or Officers in the Finance/ Account Departments of Central Statutory/ Autonomous Bodies / Public Sector Undertaking</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre/department; or</li> <li>2. With 5 years' service in the grade rendered after appointment on a regular basis in Level-12 of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre/ department; or</li> <li>3. with 10 years' service in the grade rendered after appointment on a regular basis in Level 11 of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre / department.</li> </ol>

				<p><b>Note:</b></p> <p>The period of deputation will be initially for one year, which is extendable not exceeding five years base on the review of the performance. The maximum age limit for appointment on deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.</p>
--	--	--	--	--

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
12	13
Not applicable	Not applicable

Prof. NALIN MEHTA, Director, NEIGRIHMS<sup>4</sup>

[ADVT.-III/4/Exty./328/2024-25]